

प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
मेरठ।

विषय:-1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के संबंध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमैंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

दिनांक : 26.05.2020

भवदीय

(विनय प्रकाश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

~~मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट~~,
मेरठ।

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या- 1137 / एसटी-नगर / कोवड-19,

दिनांक- 26 मई, 2020

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.5.2020 के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जोन/ कन्टेनमैन्ट जोन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3-2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 17.05.2020 के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या-924/2020/सीएक्स-3, दिनांक 18.05.2020 द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक 18.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्काल में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के आदेश संख्या-1465/ओ0एस0डी0-कैम्प/2020, दिनांक 21.05.2020 (प्रति संलग्न) के साथ मेरठ जनपद के कन्टेनमैन्ट क्षेत्र की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत समस्त नगर निगम एंवं कैन्टोनमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या-06, 10, 28 एंवं 31 को छोड़कर) को कन्टेनमैन्ट क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि-

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

संख्या: १४६८ / ओएस०डी०-कैम्प / २०२०

दिनांक: २१ -०५-२०२०

आदेश


गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या ४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक १७-५-२०२० के लम्ह में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या ९२४/२०२०/रीएक्स-३ दिनांक १८-५-२०२० द्वारा कोविड-१९ महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक १८-५-२०२० से दिनांक ३१-५-२०२० तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में १८-५-२०२० से दिनांक ३१-५-२०२० तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के स्तर पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिविधियों, व्यापार संघ के प्रदायिकारियों आदि से विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक ३१-५-२०२० तक निम्नलिखित दिशा निर्देश पारित किए जाते हैं-

- १— जनपद मेरठ के कन्टेनमेन्ट जौन को छोड़कर समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेन्ट/मिटाई की दुकान से होम डिलीवरी अनुमत्य होगी।
- २— साथ ७.०० बजे से सुबह ७.०० बजे तक किसी भी व्यक्ति वाहन आदि का आवागमन (आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- ३— ६५ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति/एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला और १० वर्ष की आयु से नीचे बच्चों का (स्वास्थ सम्बन्धी आवश्यकताओं को छोड़कर) वाहन निकलना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
- ४— नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों सहित ग्रामीण क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जौन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति Incident Commander द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन निर्गत की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नान-कन्टेनमेन्ट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस०ओ०पी० वो समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीयां अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।
- ५— नगर निगम, मेरठ के कन्टेनमेन्ट जौन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों (प्रैकेजिंग निर्माता इकाईयों सहित) मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन चरणबद्ध तरीके से निर्गत की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नान-कन्टेनमेन्ट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस०ओ०पी० के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीयां अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।
- ६— बारातघर खोले जायेंगे, लेकिन शादी से पूर्व सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी तथा इसमें २० लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- ७— अस्थाई सब्जी मण्डी की व्यवस्था पूर्व की भौति जागृति विहार सीकटर-३ में यथायत रहेगी।
- ८— कन्टेनमेन्ट जौन के बाहर प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राइवलीनर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
- ९— सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क/कवर के बाहर नहीं निकलेंगे।
- १०— समस्त सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/अन्य सामुहिक गतिविधियों पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी।


- 11— समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल/धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे।
- 12— कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर कृषि उत्पकरण एवं कृषि आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं के क्रय/विक्रय करने की अनुमति होगी एवं अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुमान-3 के पत्र संख्या 323 / 2020-सीएक्स-3 दिनोंक 28-4-2020 के कम में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर ईंट-भट्टा संचालन में परिवहन/ईंट बिक्री परिवहन की अनुमति दी गयी है। अतः इस कम में ईंट भट्टा संचालकों को उनके कार्य-स्थल तक जाने की अनुमति रहेगी।
- 13— तहसील मुख्यालय स्तर पर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अधिकृत होगे एवं इन्हें Incident Commander नामित किया जाता है।
- 14— मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 924 / 2020 / सीएक्स-3 दिनोंक 18-5-2020 द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची सलग्न है।
- 15— यदि किसी के द्वारा भी लाक डाउन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उलंघन किया जाता है तो समस्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 एवं आई0पी0सी0 की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभागी होगा।

सलग्न—उपरोक्तानुसार।


(अजय सहनी)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।



(अनिल दीगरा)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्राक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—

- 1— प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ / नोडल अधिकारी, जनपद मेरठ।
- 2— आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 3— अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ।
- 4— पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ।
- 5— मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 6— नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- 7— समरत अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
- 8— पुलिस अधीक्षक—नगर / ग्रामीण क्षेत्र, मेरठ।
- 9— नगर मजिस्ट्रेट / रामरत अपर नगर मजिस्ट्रेट / समरत उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10— मुख्य विकित्सा अधिकारी, मेरठ।
- 11— उपायुक्त, उद्योग, मेरठ।
- 12— उप निदेशक, कृषि / जिला कृषि अधिकारी, मेरठ।
- 13— समरत कार्यालयालय, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 14— प्रभारी कन्ट्रोल रूम, कलेक्टरेट, एन0आई0सी0, मेरठ।
- 15— जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।


(अजय सहनी)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।


(अनिल दीगरा)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची (जनपद मेरठ)

क्रमांक	कन्टेनमेन्ट क्षेत्र
1	समस्त नगर निगम एवं कैन्टोमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या 06,10,28,31 को छोड़कर)
2	कस्बा सिवाल खास, तहसील सदर मेरठ(थाना जानी)
3	ग्राम नारंगपुर, ब्लाक रोहटा(थाना रोहटा)
4	ग्राम पूठा, (थाना टी०पी०नगर)
5	ग्राम रोहटा, पुराना डाकखाना बड़ी मस्जिद के पास, बड़ौत रोड मेरठ(थाना रोहटा)
6	मौहल्ला करसावान, सरधना, मेरठ(थाना सरधना)
7	ग्राम जलालपुर, हसितनापुर, मेरठ(थाना हसितनापुर)
8	नगर पंचायत बहसूमा, जनपद मेरठ (थाना बहसूमा)
9	ग्राम पनवाडी, विकास खण्ड दौराला, मेरठ(थाना दौराला)
10	ग्राम अतराडा, खरखोदा(खरखोदा)